

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग 710
संख्या- 307 / 1-10-2011-33(43) / 11
लखनऊ दिनांक - 27 जनवरी, 2011

शुद्धि-पत्र / स्वीकृति-पत्र

बाढ़ 2010 एवं अन्य दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं रेस्टोरेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या-3824 / 1-10-2010-33(43)11 दिनांक 27 जनवरी, 2011 द्वारा जनपद बाराबंकी को रू0 367.50 लाख स्वीकृत किया गया था।

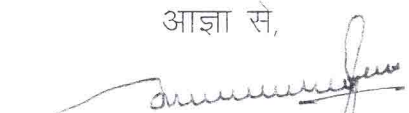
उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-3824 / 1-10-2010-33(43)11 दिनांक 27 जनवरी, 2011 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 367.50 लाख को संशोधित करते हुये रू0 381.80 लाख की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शासनादेश संख्या-3824 / 1-10-2010-33(43)11 दिनांक 27 जनवरी, 2011 को इस सीमा तक संशोधित करके पढ़ा जाए।


(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या- 307 (1) / 1-10-2011- तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त फैजाबाद मण्डल। *जिम्माधिकारी, काएवंकी।*
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी राहत आयुक्त कार्यालय।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी बाराबंकी।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
7. राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11।
8. तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राहत वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव